

>

Title: Need to provide scholarship and fee relaxation to the eligible school students of Uttar Pradesh particularly in Government Polytechnic School in Hardoi.

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जैसा कि ज्ञात हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हर वर्ष हर प्रदेश में छात्रवृत्ति स्टूडेंट्स को प्रदान की जाती है।

महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र हरदोई के अंतर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक, हरदोई में वर्ष 2013-14 में अध्यनरत प्रशिक्षुओं की संख्या 163 ओबीसी, 71 एससी, 96 जनरल कैटेगरी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्षों के छात्र-छात्राएं संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

महोदय, इनको वर्ष 2013-14 की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि 10,590 रूपए वार्षिक राज्य सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं के खातों में ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने थे।

महोदय, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, हरदोई द्वारा संस्था के समस्त छात्र-छात्राओं का ऑनलाइन प्रणाली द्वारा आवेदन विद्यालय संस्था के अंतर्गत कराया गया था, जिसमें प्रधानाचार्य व संबंधित लिपिक द्वारा ऑनलाइन कराये गए आवेदन में प्रतिपूर्ति धनराशि रूपए 10,590 के स्थान पर 200 रूपए ही आवेदन में अंकित कराए गए, जो नितांत विसंगतिपूर्ण और पूर्णतया गलत है।

महोदय, छात्र-छात्राओं के खातों में समय पर शुल्क, प्रतिपूर्ति धनराशि न पहुंचने पर छात्र-छात्राओं द्वारा मामला प्रकाश में लाया गया। संस्था के प्रधानाचार्य को छात्र-छात्राओं द्वारा दिनांक 25.06.2014 व 03.07.2014 को शुल्क, प्रतिपूर्ति धनराशि प्रेषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसके क्रम में प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 25.06.2014 और 03.07.2014 को जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखा गया।

महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस तरह की त्रुटियां अनेक पॉलीटेक्निक और बीएड कॉलेजेज में पायी गयी हैं, जिसके तहत कम से कम साढ़े तीन से चार लाख छात्र प्रभावित होते हैं।